


उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हमीरपुर
प्रेस नोट

सत्र 2018-2019 की मान्यता कक्षा 1st से 8th के लिए मान्यता नवीनीकरण (Renewal Recognition) एवं नई मान्यता (Fresh Recognition) प्राप्त करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा निम्न प्रक्रिया अमल में लाई जानी है।

1	Advertisement in the various news paper	In the month of February, 2018
2	Applications for recognition/ renewal recognition to be submitted by the institutions in this office.	In the month of February, i.e. up to 28 th Febraury, 2018
3	Inspection of the institutions for recognition by the inspection team.	Start from 1 st April 2018. Start from 1 st March 2018 for Fresh applied Schools.
4	Shortcomings, if any, convey to the institution by the office.	In the month of April, i.e. upto 30 th April, 2018
5	Removal of Shortcomings by the institutions	In the month of May, i.e. upto 15 th May, 2018
6	Orders pass by the office i.e. recognition granted/rejected.	In the month of May, i.e. upto 31 st May, 2018

मान्यता रेगुलेशन एवं आवेदन पत्र केवल कार्यालय वेबसाईट www.ddeehmr.org.in पर ही उपलब्ध होगा। निजी शिक्षण संस्थान इसे 01.02.2018 से डाउनलोड (download) करके, इसमें मांगी गई समस्त जानकारी भरकर कार्यालय को भेज सकते हैं। मान्यता प्राप्ति से पूर्व कोई भी (fresh Applied) निजी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, अन्यथा छात्रों को होने वाली हानि और भरपायी का संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा। निजी शिक्षण संस्थान मान्यता बारे आवेदन करने से पूर्व विस्तृत जानकारी हेतु Right to Education Act, 2009 और Right of Children to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2011 का भी गहन अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि कौन-कौन से दस्तावेजों को मान्यता आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है उस बारे सही जानकारी मिल सकें। सभी संस्थानों को अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ -साथ नवीनतम Fire Safety Certificate from Chief Fire Officer Shimla / building Safety Certificate from Executive Engineer PWD Concerned से संलग्न करना आवश्यक होगा। कार्यालय उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हमीरपुर द्वारा कक्षा 1st से 8th तक की मान्यता प्रदान की जायेगी। कक्षा 1-5 तक निजी शिक्षण संस्थानों को संबंधित खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त नियमों के अनुरूप प्रदान किए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए उन्हें उक्त कार्यालय में आवेदन करना होगा। अतः कार्यालय द्वारा 1st से 8th तक की मान्यता हेतु भेजे जाने वाले आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा। मान्यता हेतु सभी आवेदन करने वाले संस्थानों का मान्यता आवेदन उक्त तिथि तक कार्यालय में जमा करने होंगे। इसके पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। नई मान्यता शुल्क कक्षा 1st से 8th तक = 10,000/- कक्षा 6th से 8th तक = 5000/- और मान्यता नवीनीकरण शुल्क = 500/- रहेगा। इस बार मान्यता शुल्क सभी आवेदनकर्ता संस्थानों का eChallan :- Challan Payment Gateway के माध्यम से जमा करवाया जाना है। जिन निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता को 5 वर्ष पूर्ण हो गये हैं उन्हें नई मान्यता (Fresh Recognition) के लिये आवेदन करना होगा और बाकि निजी शिक्षण संस्थानों को मान्यता नवीनीकरण (Renewal Recognition) के लिये कार्यालय में आवेदन करना होगा।


उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा

हमीरपुर जिला हमीरपुर